

कार्यालय नगर निगम अयोध्या

पं०/आ/क/क - 3420

दि०- 14/09/23

सेवा मे,
श्री वरूण गावरी
भवन सं० 1/13/360
मो०-सिविल लाइन
वार्ड-पुलिस लाइन
जनपद-अयोध्या

आपके पत्र दिनांक 01.09.23 के सम्बन्ध में सूचित कराना है कि नगर निगम अयोध्या मे 1. जल कनेक्शन नियमानुसार शुल्क जमा करा कर आपके प्रतिष्ठान को प्रदान कर दिया गया है। 2. ड्रेनेज सीवेज हेतु लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है पूर्ण होने पर कनेक्शन जल निगम द्वारा दिया जायेगा। 3. लांड्री ट्रेड लाइसेंस लागू नहीं है। 4. गारवेज डिस्पोजल एप्रूवल एवं लाइसेंस शुल्क नियमानुसार होटल संचालन की तिथि से नियतदर के अनुसार आरोपित किया जायेगा। कृ० तदनुसार सूचित हों।


अपर नगर आयुक्त (कर)
नगर निगम अयोध्या।
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम अयोध्या

सेवा में,

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम अयोध्या

महोदय,

आपको सांदर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा वार्ड पुलिस लाइन मो0 सिविल लाइन में "होटल सरोवर पोर्टिको" का शुभारम्भ 4 अक्टूबर को किया जाना है आपके विभाग द्वारा निगम सुविधाएं की आवश्यकता है।

1. नगर निगम जल कनेक्शन
2. ड्रेनेज सीवेज कनेक्शन
3. लांड्री ट्रेड लाइसेन्स
4. गारवेज डिस्पोजल एप्रूवल

कृपया सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

दाखल गावरी
वरुण गावरी
01/09/23

मकान नं0 1/13/360

मो0 सिविल लाइन

मो0 नं0 8700/71730

नगर निगम अयोध्या
Ex Eng (al Kal)

प्रकलन में सम्मिलित
कार्यवाही करें।
11/09/23